छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका संख्या 1246/2005

याचिकाकर्ता— शंकर लाल नाथ, आयु लगभग 53 वर्ष, आत्मज सुरेन्द्र नाथ, चिरिमिरी ओपनकास्ट माइन पोस्टः चिरिमिरी कोलरी, जिलाः कोरिया (छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण—

(1) साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर (छग)—495006

(2) मुख्य महाप्रबन्धक, साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, चिरमिरी क्षेत्र, पोस्ट —पश्चिम चिरमिरी, जिलाः कोरिया (छग)—497773

(3) उप क्षेत्र प्रबंधक, चिरिमिरी ओपनकास्ट माइन पोस्टः चिरिमिरी कोलरी, जिलाः कोरिया (छग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रतिवेद्य</u>

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका</u>

<u>रिट याचिका संख्या 1246/2005</u>

शंकर लाल नाथ
—विरुद्ध—
एसईसीएल और अन्य

दिनांक 12.05.2005 को आदेश हेतु सूचीबद्ध किया जाये।

सही/—
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

रिट याचिका संख्या 1246/2005

शंकर लाल नाथ

—विरुद्ध—

एसईसीएल और अन्य

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री गैरी मुखोपाध्याय, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण के लिए	:	श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री संगीता मिश्रा, अधिवक्ता

<u>**आदेश**</u>

(12.09.2005)

द्वारा: न्यायाधीश सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर वर्तमान याचिका में अधीक्षक (एम)/प्रबंधक, चिरिमिरी ओपन कास्ट परियोजना, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा जारी पत्र संदर्भ क्रमांक:–एसईसीएल/सीएचआरएम(ओसीपी)/एसएएम/05/आरईटी/1716 दिनांक 14.1.2005 (अनुलग्नक पी/1) को आक्षेपि किया गया है, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को दिनांक 31.7.2005 को अधिवार्षिकी की आयु अर्थात 60 वर्ष पूरी करने पर दिनांक 1.8.2005 से उत्तरवादी/कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया गया था।

2. इस याचिका के निराकरण के लिए आवश्यक निर्विवाद सुसङ्गत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिनांक 10.7.1963 को चिरमिरी कोलरी में तत्कालीन निजी स्वामी के अधीन हुई थी। उप कार्मिक प्रबंधक, चिरमिरी कोलरी द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.7.1987 (अनुलग्नक पी/4) के अनुसार, याचिकाकर्ता के कोयला खान भविष्य निधि खाते से संबंधित सेवा अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी के साथ ही नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक पी/5) के आधार पर, उसकी जन्म तिथि 7.2.1946 दर्ज की गई थी।

3. वर्ष 1973 में कोयला खानो का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और चिरमिरी कोलरी को भी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने अधीन ले लिया। वर्तमान में उक्त खनन क्षेत्र उत्तरवादी अर्थात साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एतस्मिनपश्चात एसईसीएल के रूप में संदर्भित) के नियंत्रण में है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने वर्ष 1973 में कोल इंडिया के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (एतस्मिनपश्चात 'जेबीसीसीआई' के रूप में संदर्भित) नामक समिति गठित की थी। उक्त समिति में इंटक, एचएमएस, बीएमएस, सीटू, एटक और कोयला उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। जेबीसीसीआई ने कई बैठकें आयोजित की और अंत में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (पी) के उपबंधों के अंतर्गत करार, जिसे 'राष्ट्रीय कोयला वेतन करार' (एतस्मिनपश्चात 'एनसीडब्ल्यूए' के रूप में संदर्भित) कहा गया है, निष्पादित किया गया। कई करार पर हस्ताक्षर किए गए, जो निम्नानुसार हैं:—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-करार का नाम-	-संचालन की अवधि-	-निष्पादित किया गया-
एनसीडब्ल्यूए-I	1.1.1975 से 31.12.1978 तक	11.12.1974
एनसीडब्ल्यूए-II	1.1.1979 से 31.12.1982 तक	11.8.1979
एनसीडब्ल्यूए-III	1.1.1983 से 31.12.1986 तक	11.11.1983
एनसीडब्ल्यूए-IV	1.1.1987 से 30.6.1991 तक	27.7.1989
एनसीडब्ल्यूए-V	1.7.1991 से 30.6.1996 तक	14.12.1995
एनसीडब्ल्यूए-VI	1.7.1996 से 30.6.2001	14.12.2000

5. एनसीडब्ल्यूए करार के अनुसार, कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 दिनांक 25 अप्रैल, 1988, कर्मचारियों की आयु के अवधारण/सत्यापन तथा सेवा अभिलेखों के विवादित प्रकरणों के समाधान के लिए प्रक्रिया प्रदान की गई है। इस करार के खंड (ख) (ii) में उपबंधित किया गया है कि जब तक प्रबंधन के संज्ञान में कोई बहुत ही स्पष्ट और गलत प्रविष्टि नहीं लाई जाती है, तब तक जन्म तिथि के अवधारण की समीक्षा के लिए प्रकरण नहीं खोला जाएगा। खंड (ख) नीचे उद्धृत किया गया है:—

“(ख) मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में जन्म तिथि के निर्धारण की समीक्षा—

(i) (क) विद्यमान कर्मचारियों के प्रकरण में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण—पत्र या उच्चतर माध्यमिक प्रमाण—पत्र या शिक्षा बोर्ड और/या लोक शिक्षण विभाग द्वारा जारी माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण—पत्र तथा उपर्युक्त निकायों द्वारा जारी प्रवेश—पत्र को सही माना जाएगा, बशर्ते कि वे नियोजन की तिथि से पहले उक्त विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हों।

(i) (ख) इसी प्रकार, माइनिंग सिरदारशिप, वाइंडिंग इंजन या इसी प्रकार के अन्य वैधानिक प्रमाण—पत्र, जिनमें प्रबंधक को जन्मतिथि प्रमाणित करनी होती है, उन्हें प्रामाणिक माना जाएगा।

बशर्ते कि जहां उपर्युक्त (i) (क) और (i) (ख) में उल्लिखित दोनों दस्तावेज उपलब्ध हों, वहां (i) (क) में अभिलिखित जन्मतिथि को प्रामाणिक माना जाएगा।

(ii) जहां भी अभिलेखों में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसे प्रकरणों को तब तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक कि प्रबंधन के ध्यान में कोई बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट गलत प्रविष्टि न लाई जाए। प्रकरण के गुण—दोष से संतुष्ट होने के बाद प्रबंधन अवधारण समिति/चिकित्सा मंडल के माध्यम से सुधार के लिए उचित कार्रवाई करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि, जो सेवा पुस्तिका और अन्य संबंधित दस्तावेजों में दर्ज थी, में परिवर्तन करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रकरण को फिर से खोलने का कोई कारण नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 40 में उपबंधित किया गया है कि 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किसी भी व्यक्ति को खान या उसके हिस्से में नियोजित किया जा सकता है। जब याचिकाकर्ता को दिनांक 10.7.1963 को नियुक्त किया गया था, तो खान अधिनियम 1952 प्रवृत्त था और याचिकाकर्ता को 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत उचित रूप से नियुक्त किया गया था।

7. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र की अंकसूची में दिनांक 1.7.1950 के रूप में दर्ज जन्मतिथि सही नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 1.7.1950 होने से उसे खानों में नियुक्त नहीं किया गया होता,

क्योंकि उस समय याचिकाकर्ता की आयु केवल 13 वर्ष रही होगी। अतः, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रमाण पत्र में इस प्रकार दर्ज उसकी जन्मतिथि 1.7.1950 को याचिकाकर्ता की जन्मतिथि में भिन्नता के लिए ध्यान में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 1.7.1950 होती तो याचिकाकर्ता जुलाई, 2010 में अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर अर्थात 1.7.1950 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाता। वर्तमान प्रकरण में उत्तरदातागण ने याचिकाकर्ता को दिनांक 1.8.2005 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त करते हुए याचिकाकर्ता की जन्मतिथि को 10.7.1945 (दिनांक 23.5.2000 के आदेश अनुलग्नक पी/6 के अनुसार) के रूप में लिया है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने **उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य विरुद्ध शिव नारायण उपाध्याय–(2005) 6 एससीसी 49, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम एसएम जाधव व अन्य–(2001) 4 एससीसी 52, और सरजू प्रसाद बनाम महाप्रबंधक व अन्य–एआईआर 1981 एससी 1481** के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि किसी कर्मचारी के सेवा के अंतिम चरण में जन्मतिथि, जो कि सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि बुकलेट, कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर निर्णायक हो चुकी है, में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता को उसके सेवा के अंतिम चरण में जन्मतिथि की समीक्षा करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसके विपरीत, उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल तथा अधिवक्ता सुश्री संगीता मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किया कि एकमात्र याचिकाकर्ता का नहीं है, अपितु याचिकाकर्ता सहित 98 व्यक्तियों की जन्मतिथि के प्रकरणों की समीक्षा की गई है और उनमें स्पष्ट दोष पाए गये हैं। उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र 1966 में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 1.7.1950

के रूप में उल्लिखित की गई है, इसलिए 1.7.1950 को याचिकाकर्ता की जन्म तिथि के रूप में स्वीकार किया गया और तदनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 31.7.2005 को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 1.8.2005 से कंपनी से सेवा से सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया गया था। उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण को फिर से खोलने और जन्म तिथि में सुधार करने के लिए प्रबंधन द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 (बी) (ii) का भी अवलंब लिया। इस प्रकार, उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिका को तदनुसार निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

9. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्थापित होता है कि सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिकाओं और अन्य दस्तावेजों में दर्ज जन्म तिथि सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि अर्थात 7.2.1946 से सुसंगत है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र 1966, जिसमें जन्म तिथि 1.7.1950 दर्ज है, सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि याचिकाकर्ता 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पहले से ही नियोजन में था, जैसा कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 40 के अंतर्गत तत्समय अनुमेय था जब याचिकाकर्ता को खानों में काम करने के लिए प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। यदि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 1.7.1950 के रूप में ली जाए तो उसकी आयु मात्र 13 वर्ष रही होगी, और इस प्रकार उसे खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1963 में प्रशिक्षु के रूप में खानों में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई होगी। खान अधिनियम, 1952 की धारा 40 इस प्रकार है:–

> "**40. अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नियोजन** – (1) खान (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पश्चात् अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को किसी खान या उसके भाग में काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षुओं और अन्य प्रशिक्षुओं को, जो सोलह वर्ष से कम आयु के नहीं हैं, किसी खान या उसके भाग में प्रबन्धक द्वारा समुचित पर्यवेक्षण के अधीन काम करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:
परन्तु शिक्षुओं से भिन्न प्रशिक्षुओं की दशा में, उनको काम करना अनुज्ञात करने से पूर्व मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
स्पष्टीकरण—इस धारा में, "शिक्षु" से शिक्षु अधिनियम, की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित शिक्षु अभिप्रेत है।"

10. कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के खंड बी (ii) में उन प्रकरणों पर पुनर्विचार किये जाने का उपबंध किया गया है, जब कोई भारी और गलत प्रविष्टि प्रबंधन के ध्यान में लाई गई हो। यहाँ, स्वीकृत रूप से, यह अकेले याचिकाकर्ता का प्रकरण नहीं है, जहाँ प्रबंधन को ज्ञात हुआ था कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 1.7.1950 बताई गई थी। प्रबंधन ने किसी विशेष दोष को स्वयं के ध्यान में लाए बिना, स्वतः ही 98 कर्मचारियों, जिन्होंने 1.1.2000 तक 42 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, के प्रकरणों पर विचार किया था। सत्यापन में यह पाया गया था कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका और अन्य दस्तावेजों में दर्ज जन्म तिथि से भिन्न जन्म तिथि बताई गई थी। कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 जन्म तिथि की समीक्षा निर्धारण में किसी विशेष कर्मचारी की जन्म तिथि के संबंध में किसी भी गंभीर त्रुटि की विशिष्ट जानकारी के बिना मौजूदा कर्मचारियों के समग्र सत्यापन का उपबंध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1.8.2005 से सेवानिवृत्त करने के लिए उसकी जन्मतिथि 10.7.1945 क्यों मानी गई थी। यह एक ऐसा प्रकरण है जहां याचिकाकर्ता जुलाई 2010 में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के उद्देश्य से, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में दर्ज अपनी जन्मतिथि 1.7.1950 का लाभ उठा सकता था। तथापि, याचिकाकर्ता सेवा अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि अर्थात 7.2.1946 पर दृढ़ और स्थिर है।

12. याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आधार है, इस कारण भी, इस न्यायालय के अभिमत में, आक्षेपित पत्र अभिखंडित किये जाने योग्य है।

13. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत **सरजू प्रसाद (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बिना कारण बताओ सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना जन्मतिथि में परिवर्तन करने से सिविल परिणामों का सामना करना पड़ता हैं। इस आधार पर सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार करने का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

14. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत **हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह सुस्थापित विधि है कि किसी कर्मचारी के सेवा के अंतिम चरण में किसी पक्षकार को जन्म तिथि के संबंध में विवाद उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शिव नारायण उपाध्याय (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि ही निर्णायक होनी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में न केवल सेवा पुस्तिका अपितु अन्य दस्तावेजों में जन्म तिथि की अन्य प्रविष्टियाँ भी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्म तिथि के अनुरूप हैं। नियुक्ति की तिथि और खानों में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु को ध्यान में रखते हुए कोई गंभीर त्रुटि नहीं पाई गई है, अतः सेवा पुस्तिका और कोलरी भविष्य निधि में दर्ज जन्म तिथि निर्णायक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. उपर्युक्त कथित कारणों से, आक्षेपित आदेश/पत्र दिनांक 14.1.2005 (अनुलग्नक पी/1) को अभिखंडित किया जाता है और उत्तरदातागण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करें और उसे सेवा अभिलेखों में दर्ज उसकी जन्म तिथि अर्थात 7.2.1946 के आधार पर अधिवार्षिकी आयु अर्थात 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कार्य करने की अनुमति दें। याचिकाकर्ता उस अवधि, जब वह सेवा से बाहर था अर्थात दिनांक

1.8.2005 से पुनर्स्थापना की तिथि तक के लिए बकाया वेतन के परिणामी लाभों का हकदार होगा।

16. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ratna Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur